आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
29/12/2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "**मौजा–चुनका** जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करने अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया जांच में गैरमजरूआ मालीक खाता सं0 51 प्लौट सं0– 13/B रकबा 1.00 पर बनवारी महतो पिता तुलसी महतो का दखल–कब्जा एवं जोत कोड़ है। जिसमें अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा केश नं0 04/2007–08 में लाल पर्चा निर्गत किया गया है। और मनातू अंचल द्वारा मांग पंजी II के पेज नं0 56 पर डिमाण्ड खोला गया जो कि लगान रसीद दिनांक 27.06.2012 तकरसीद निर्गत किया गया है। उक्त जमाबंदी संदेहस्पद/अवैध जमाबंदी प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।" अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई......समाप्त......की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। ह0 29/1/2025 अंचल अधिकारी, मनातू। ह0 29/1/2025 अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय:- अवैध संदेहास्पद जमाबंदी केश नं० 167/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में,

महाशय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा चुनका जाकर राजस्व कागजात एवं नकशा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया जाँच में गैरमजरूआ मालिक खाता सं०-51 प्लौट सं०-13/B. रकबा 1.00/0 पर जगवारी महतो S/O दुलारी महतो का दखल कब्जा एवं जोत कोड़ है। जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा केश नं०-04/07-8 में माल पर्चा निर्गत किया गया है और मनातू अंचल द्वारा मांग पंजी II के पेज नं० 56 पर डिमाण्ड खोला गया जो कि लगान रसीद दिनांक 27/6/12 तक रसीद निर्गत किया गया है। उक्त जमाबंदी संदेहास्पद। अवैध प्रतीत नहीं होता है।
अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

ह० 25/11/2019

विश्वासभाजन
प्रेमचंद कुमार.
रा. उ. निरीक्षक,
हल्का-III.

ह०
अंचल अमीन

ह० KC
रा. उ. निरीक्षक
हल्का-II.

ह०

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या ...162...../2016(अन्तर्गत धारा 4(h),BLR Act,1950)

नोटिस

बनाम कनवारी महतो S/O कुलमी महतो

ग्रा० - चुनका

एतद् नोटिस द्वारा आपाको सूचित किया जाता है कि मैजा ...चुनका......, थाना नं0....... खाता नं0...... 51 खेसरा नं0...173/B....रकबा...1.00.00 से संबंधित आपके नाम से हो0 नं0........ पंजी भाग के पृष्ठ ....पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिबेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध मे दिनांक .... को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न मे उक्त रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदो, फार्म सरकार मे जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं ट साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तूत करे ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही क तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी के मे युक्ति युक्त निर्नय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

मनातू, पलामु

अंचल अधिकारी मनातू का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 1637/2016-17

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– चुनका थाना– मनातू खाता संख्या– 51 प्लॉट संख्या– 13/B रकबा– 1.10 एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– के पृष्ठ संख्या– 56/2 पर जमाबंदी रैयत बनवारी भुइयाँ के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक– 16/11/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

मनातू

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– बनवारी मल्ली, [illegible] पिता- [illegible]
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
[illegible] 367		51	13/B	1.08

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या.................. पृष्ठ सं०- 36/2 पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 04-07
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :–
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– S.D.O Sadar
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती – बन्दोबस्त केस [illegible] 2004/2007-08
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी) ×

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
(1) ~~[illegible]~~ F	4968552	27/11/2012	04-07-08
(2) B	114358	[illegible]/14	2014-15

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर जिला पलामू - I

गैर मजरूआ आम/मालिक भूमि की बन्दोबस्ती कृषि/आवास के लिये

बन्दोबस्ती केश संख्या- 04/07-08 परवाना संख्या-

बन्दोबस्तधारी का नाम बनवारी महतो पिता का नाम स्व० तुलसी महतो

ग्राम चुकरू थाना, जिला पलामू

बन्दोबस्ती की गयी भूमि का विवरण

ग्राम	खाता न0	खेसरा न0	रकबा	चौहदी	लगान
चुकरू	51	13/B (कि (कि० 714)	1.10	उ0 बनवारी महतो द0 बनवारी महतो पू0 प्लॉट 262 प0 ,, 14	प्रतिवर्ष 2.20 रु० अलावे शेष वगैरह

बन्दोबस्ती की शर्तें

उपरोक्त जमीन निम्नांकित शर्त के साथ बन्दोबस्त की जाती है।

1- बन्दोबस्तधारी बन्दोबस्ती की लगान भूमि का दखल [illegible] कराकर अंचल अधिकारी से प्राप्त कर लेगें।

2- बन्दोबस्तधारी लगान एवं सेस वगैरह नियमित रूप से अदा करेगें/लगान बन्दोबस्ती के वर्ष से देय होगा।

3- बन्दोबस्ती की गई जमीन विरासत से योग्य होगी किन्तु किसी भी प्रकार से इसका हस्तांतरण वैध नहीं होगा। बन्दोबस्त भूमि की सांस्थिक वित्त अनुसूचित बैंक के पास केवल बंधक रखा जा सकता है।

10/2/07 — परवाना तैयार करने वाले का हस्ताक्षर

10/8/08 — अंचल अधिकारी

अनुमण्डल पदाधिकारी

Sch. XIV-F.No. 180V

जिला का नाम पलामू

अनुमण्डल का नाम मेदिनीनगर

अंचल का नाम [illegible]

नाम सर्कल। नाम मौजा मय [illegible] -

थाना वो थाना नम्बर 367

V रसीद मालगुजारी

फरद मालकी/फरद रैयती

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी

वो सकुनत नम्बर। JB/41

w.p
P.N56
VOL II

4968552

खाता संख्या	खेसरा संख्या
51	13/B रकबा 1.005 ए० -

अराजी नकदी | अराजी भावली | तफसील हिसाब लगान भावली

[illegible] महतो S/O स्व० [illegible] महतो

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबद	सालाना	बकाया				12/13 हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	
माल गुजारी (नकदी)	4.00	/	/	/	20.00	4.00
माल गुजारी (भावली)	1.00				5.00	1.00
सेस	2.00				10.00	2.00
*सूद	2.00				10.00	2.00
मुतफरकात	1.00				5.00	1.00
मीजान	10.00				50.00	10.00

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबद	बकाया				12/13 मोतालबा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष		
माल गुजारी (नकदी)	/	/	/	20.00	4.00	/
माल गुजारी (भावली)				5.00	1.00	
सेस				10.00	2.00	
*सूद				10.00	2.00	
मुतफरकात				5.00	1.00	
मीजान अदायकारी				50.00	10.00	= 60.00

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) [illegible]

(2) नाम देहिन्दा - [illegible]

(3) कुल बकाया- [illegible]

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा
27-6-2012

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

NCCP-2007

No. 141
22 APR 13

अनुसूची–14 फारम सं0 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम

TWO RUPEES (court fee stamp)

आदेशपत्रक–ता0 ________ से ________ तक

जिला ________ सं0 04/07 08 ________ सन 07-08

केस का प्रकार ---- भूमि बन्दोबस्ती

आदेश की क्रं0सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18-7-07	आवेदक गण श्री जगदीश महतो, लखुनाथ महतो, नुरेश महतो डी0 तुलसी महतो एवं बनवारी महतो डी0 तुलसी महतो [illegible] ने आवेदन पत्र देकर निम्न वर्णित भूमि की बन्दोबस्ती करने का अनुरोध किया है। भूमि विवरण (i) बनवारी महतो [illegible] डी0 तुलसी महतो [illegible] — खाता 51 प्लॉट 13 रकबा 1.80 (ii) जगदीश महतो — 12 — 0.30 (iii) लखुनाथ महतो, (iv) नुरेश महतो डी0 तुलसी महतो — 51 — 13 — 0.50; 51 [illegible] के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन सहित [illegible] उपलब्ध करायें। — अंचल अधिकारी	
20-7-07	[illegible] के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन सहित, प्रस्ताव [illegible] प्रपत्र [illegible] एवं [illegible] उपलब्ध कराया गया है। [illegible] प्रस्तावित भूमि ग्राम [illegible] के खाता नं0 51 प्लॉट नं0 13, 12 रकबा 1.80 ए0 जो [illegible] है। [illegible] भूमि [illegible] है [illegible] उपयोग में नहीं है, [illegible] बन्दोबस्ती [illegible] किया जाता है।	

Pu 22/4/13

22/4/13

आदेश की क्र०सं० और तारीख		आदेश पर गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	[illegible] - ग्राम [illegible] 51 - 13/B - 1.00 [illegible]	
	[illegible] ... 51 - 12 - 0.30	
	[illegible] - 13/A - 0.20 / 0.80 [illegible]	
	[illegible] दिनांक - 8-8-07 [illegible]	
	[illegible]	
10-8-07	[illegible]	
	[illegible]	

[illegible]

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	पर की कार्रवाई के टिप्पणी सहित
1	2	3
13/8/07	अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह अभिलेख अंचल अधिकारी सलारु के पत्रांक 178 दिनांक 10-8-07 से ग्राम मधुबन्ना खाता 51 प्लॉट 13/B एवं 12, 12/A रकबा क्रमशः 1.00, 0.30 ह० 0.50 ह० कुल रकबा 1.80 ह० उसी ग्राम के ... रैयत को साम्य करने हेतु प्राप्त हुआ है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तावित भूमि बिहार सर्वे खतियान में गै० मा० भूमि किस्म जमीन परती अनाबाद दर्ज है प्रस्तावित रैयत भूमिहीन है एवं पिछड़ी जाति के अधिकारी हैं, पूर्व धारित भूमि 1.82 ह० है। प्रस्तावित भूमि पर प्रस्तावित रैयतों का दखल कब्जा करवाया गया है एवं अंचल अधिकारी द्वारा उक्त बंदोबस्ती को प्रस्तावित रैयतों के साथ करने हेतु अनुशंसा किया गया है। अतः अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित भूमि की बंदोबस्ती प्रस्तावित रैयतों के साथ करने की स्वीकृति दी जाती है। लेखा लिपिक, भूमि सुधार उप समाहर्ता उप समाहर्ता, भू-सुधार सह अनुमंडल पदाधिकारी ... अनुमंडल कार्यालय ...	

जांच प्रतिवेदन

COURT FEE
INDIA
TWO RUPEES

+ वंशावली, नक्शा

मुजफ्फ...
286
थाना नं० 1
अंचल मनातू
जिला पलामू
(क) पैमाना 16" = 1 मील
(ख) [illegible]
2 अ [illegible]

हल्का	प्लॉट	रकबा
5	12	0.30
	13/A	0.50
	13/B	1.00
		1.80 डि

3

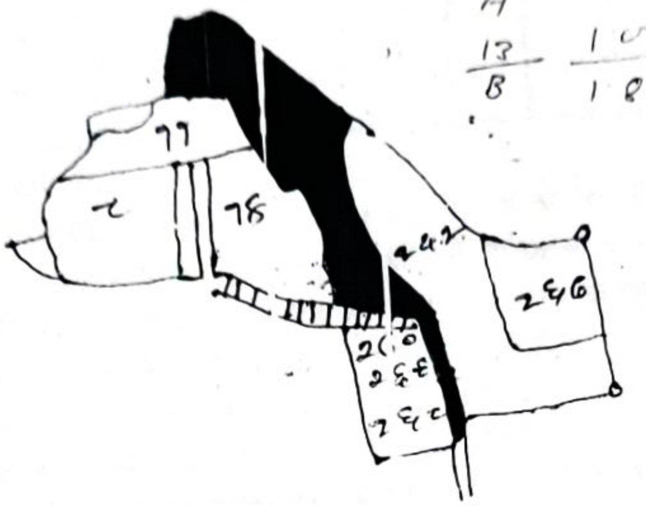

22/11/13

जाँच प्रतिवेदन

(क) आवेदक का नाम :- बनवारी महतो s/o स्व० तुलसी महतो, आशीष महतो, बालमुकुन्द महतो
(ख) आवेदक के पिता / पति का नाम :- स्व० लखन महतो, गंगाराम, स्व० तुलसी महतो

2. आवेदक की जाति - अहीर (पिछड़ी जाति)

3.

ग्राम का नाम	थाना	थाना न0	खाता न0	प्लॉटन0	रकबा
चुनकी	न.गढ़	367	51	13/B	1.00
चुनकी	"	367	51	12	0.30
चुनकी	"	367	51	13/B	0.50
					1.80 डी०

4. खतियानी हक :- (मजरुआ) है
5. यदि प्रस्तावित जमीन उच्च वर्ग के साथ बन्दोवस्त की जा रही है तो उल्लेख करें कि हरिजन / आदिवासी या सैनिक के साथ बन्दोवस्त नहीं होने एवं उच्च वर्ग के साथ बन्दोवस्त क्यों किया जा रहा है ? X
6. आवेदक देही रैयत है या नहीं ? देही रैयत
7. प्रस्तावित प्लॉट का पूरा रकबा :- 1.80 डी०
8. प्रस्तावित जमीन का रकबा :- 1.80 डी०
9. प्रस्तावित प्लॉट का रकबा पहले बन्दोबस्त हो चुका है ? X
10. जमीन का वह भाग जो खाता है :- X
11. प्रस्तावित जमीन कितने साल से आबाद है ? [illegible] 10 साल से
12. जमीन बन्दोबस्त होने का उद्देष्य :- कृषि कार्य हेतु
13. प्रस्तावित जमीन कितने साल कब्जा मे है तथा यह कैसे समझें कि कितने साल से आबाद है ? [illegible]
14. प्रस्तावित जमीन में कितने गाछ हैं X
15. जाँच के समय किसी व्यवित को आपति है या नही ? X
16. जंगल क्षेत्र से बाहर है या नही ? वन सीमा से बाहर है
17. आवेदक के पास पहले का जमीन कितना है ? 1.82 डी०
18. चारागाह है या नही - नहीं
19. प्रस्तावित जमीन का लगान - 5.50 पैसा [illegible]

21/11/13

20. गांव के तरह के अनुसार मालगुजारी -
21. प्रस्तावित जमीन भूतपूर्व जमीनदार के रिर्टन के मुताबिक -
22. प्रस्तावित जमीन बुझारत के अनुसार :-

कर्मचारी का हस्ताक्षर

20.11.07
अचल निरीक्षक का हस्ताक्षर

अचल पदाधिकारी

गैरमजरुआ मालिक भूमि की बन्दोबस्ती करने हेतु खेसरा प्रपत्र

[illegible] पुनका थाना नं० - 367 हल्का नं० - II थाना मनातू जिला पलामू -

	रैयत का नाम	ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	चौहद्दी	किस्म	दर	लगान	अभियुक्ति
1.	बनवारी महतो S/o स्व० तुलसी महतो पत्नी बरती देवी ग्राम पुनका थाना मनातू	पुनका	51	13/B	1.00	उ० जगदीश महतो द० बनवारी महतो पु० खेसरा नं० 267 पश्चिम० खेसरा नं० 14	टाँड़ III	1.00	2.50	
2.	जगदीश महतो वो लखुमणी महतो व सुरेश महतो पे० तुलसी महतो ग्राम पुनका थाना मनातू	पुनका	51	12	0.30	उ० लिलाधर पतरा द० [illegible] पु० पिनज पश्चिम० पतरा/लिलाधर	टाँड़ III	1.00	1.80	
		पुनका	51	13/A	0.50	उ० पतरा लिलाधर द० बनवारी महतो पु० गाबा लिलाधर प० पिनज	टाँड़ III	1.00	2.00	
					1.80 एकड़				5.50	

महाशय

प्रस्तावित जमीन गैरमजरुआ मालिक जमीन है प्रस्तावित [illegible] है जिस रैयत है आवेदक [illegible] अ अभि [illegible] करते चले आ रहे हैं प्रस्तावित जमीन [illegible] [illegible] नहीं है [illegible] तथा उक्त जमीन को [illegible] किस्म गद्द नहीं है [illegible] नहीं [illegible] है तथा भूमि के [illegible] का [illegible] नहीं हुआ है [illegible] महोदय [illegible] आवेदकों के नाम से बन्दोबस्ती की [illegible] किया जा सकता है।

महाशय [illegible]

22/11/13

[illegible]

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

C[illegible]HATIAN

मौजा युरुवा ... . महाल .... परगना - पलामू .... तौजी न०. .... मालिक का नाम व खेवट .... सफा

थाना [illegible] पट्टी .... थाना न० 367 .... दरमियानी हकदार का नाम वो खेवट

खतियान का सिलसिलेवार नं०	असामी का नाम वल्दियत सकुनत और जाति	खेत		किस्म जमीन	रकबा		कैफियत	लगान/बेलगान जो खेत के निश्वत हो सो लिखो		1. नवंत गैर दाखिलकार रैयत कब्जे की मुद्दत 2. तरीका ठहराने लगान वो शरायत लगान अगर हौले हौले बढ़ता हो। 3. [illegible] शर्त अगर कोई हो
		खेसरा नम्बर	चौहद्दी		ए०	डी०		हाकिम के तहकीकात मोताबिक 1/- लगान 2/- शेष	ठहराया हुआ मुनासिबलगान अगर कोई हो 1/-लगान 2/-शेष	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
गैरमजरुआ मालिक 51	गैर मजरुआ मालीक	12 13	परती कदीम परती कदीम		0 1	30 50			खाता खसरा के अन्दर किस्म [illegible] अनाबाद जमीन है मालिक [illegible] [illegible] [illegible] आबाद [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	

राजस्व कर्मचारी [illegible] अंचल निरीक्षक [illegible] अंचल पदाधिकारी [illegible]

[illegible] 22/11/13

COURT FEE
TWO RUPEES

No- 141/22/11/13

Cost For Application for Copies
Searching fee-
Extra fee-
Authentication fee-
Number of-
Paper-
Folios-
Plain Paper-
Printed Forms-
Treacing Cloth-
Copiying fee-

Total-

28/11/13

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2025.12.31 13:14:00 +05:30
Location: 10.100.138.156